सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 41/08

किशोरी लाल पुत्र श्री चिरजीं लाल जाति अग्रवाल साकिन रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. फूलाराम पुत्र श्री अमराराम जाति मेघवाल साकिन रोहिड़ावली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिड़ावली

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली दिनांक 1–1–05

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : श्री मोहन लालम माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री विक्रम बिश्नोई एवं श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांकः 28–6–16

प्रस्तुत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस0 बी0 सिविल रिट याचिका सं0 5251/2007 किशोरी लाल बनाम अति0 कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22–7–08 के अनुसरण में याचिकाकर्ता किशोरी लाल की रिट याचिका स्वीकार कर, इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–8––07 अपास्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय में इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि पक्षकारों की सुनवाई की जाकर, गुणदोष के आधार पर विधि अनुसार रिविजन में निर्णय पारित करें।

संक्षिप्त में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि आबादी भूमि रोहिड़ावली में भूखण्ड सं0 35 गुणा 20 फुट निगरानीकर्ता को निलामी में आवंटित हुआ है। इस भूखण्ड के चिपते ही उसके भाई लक्ष्मीनारायण का भूखण्ड है अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 171–05 को अप्राथ्री सं0 1 का पुराना कब्जा मान कर विनियमित कर, अलॉट कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीकृत आदेश नियम 140 के विपरीत है । नियम 156 के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। नियम 167(2) के तहत सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। पंचायत समिति, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 16–8–2000 के विरूद्व कोई अपील या निगरानी पेश नहीं की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड पर एक दुकान बनाई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी निगरानीकर्ता का कब्जा माना है। धारा 145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही में पुलिस ने भी निगरानीकर्ता का कब्जा माना है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश दिनांक 1–1–05 निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीकृत आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है। निगरानीकृत प्लाट पर कोई मकान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही फर्जकारी की गई है। निगरानीकर्ता का कब्जा प्रश्नगत भूखण्ड पर सन् 1998 से लगातार चला आ रहा है। पंचायत समिति द्वारा आवंटन को सही माना गया है। अप्रार्थी सं0 1 का निगरानीकृत भूखण्ड पर कब्जा कभी नहीं रहा है। निगरानीकर्ता के आवंटन को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता के पट्टे को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किये बिना ही, अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पट्टे पर पट्टा जारी करवा लिया है। निगरानीकर्ता के पट्टे को किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

अप्रार्थी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि रेकार्ड में 20 गुणा 35 फुट का प्लाट दर्ज नहीं है। चौक की जगह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलॉट की गई है, जो अलॉट नहीं की जा सकती है। इसी कारण सिविल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 का 20 वर्ष पुराना कब्जा मान कर नियम 157 में विनियमितकरण किया गया है, जो विधिसम्मत् किया गया है। निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थी सं0 1को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1–1–05 को राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के अन्तर्गत प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 20–11–04 से दो सौ रूपये जमा करवा कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा की पुश्त पर जो नजरी नक्शा अंकित किया गया है, उसमें 40 गुणा 45 फुट साईज अंकित किया गया है।

निगरानीकर्ता को दिनांक 21–10–98 को निलामी में 525–00 रूपये में प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 21–10–98 (चौक का कुछ हिस्सा मंजूर किया गया) को गौशा (क) से 35 गुणा 20 फुट माप की चौक की कुछ जगह अलॉट की गई है। पट्टे की पुश्त पर जो नजरी नक्शा अंकित किया है, में दर्शाया गया है कि " चौक का कुछ हिस्सा सम्मिलित है "। साथ में यह नोट अंकित है कि " गौशाक में प्लाट नं0 445, 18 बी 35 गुणा 20 फुट चौक का कुछ हिस्सा अलॉट किया जाता है "।

ग्राम पंचायत रोहिड़ावली ने अपने पत्र दिनांक 17–4–07 द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि " किशोरी लाल वगैरा के संबंध में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं हौ क्योंकि 2000 से पहले का रेकार्ड ग्राम पंचायत से गुम है "।

धारा 145 द0प्र0सं0 सं0 3/06 में पारित निर्णय दिनांक 15–3–2007 के अनुसार निगरानीकृत भूखण्ड पर कब्जा अप्रार्थी सं0 1 का घोषित किया गया है। सिविल न्यायालय द्वारा भी मुत0 दिवानी प्रकरणसं0 8/06 किशोरी लाल बनाम फूलाराम के प्रकरण में दिनांक 6–3–06 को निर्णय पारित कर निगरानीकर्ता का स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता तथा अप्रार्थी सं0 1 को जो आवंटन किया गया है, दोनों भूखण्ड के नाप अलग–2 हैं। निगरानीकर्ता को जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें गौशा (क) से 35 गुणा 20 फुट माप की चौक की कुछ जगह अलॉट की गई है जबकि अप्रार्थी सं0 1को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1–1–05 को राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के अन्तर्गत प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 20–11–04 से दो सौ रूपये जमा करवा कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा की पुश्त पर जो नजरी नक्शा अंकित किया गया है,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

उसमें 40 गुणा 45 फुट साईज अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को किया गया आवंटन विधिसम्मत् होना पाया जाता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28–6–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner